

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2492/2026

1. Bhanwar Singh Shaktawat S/o Chatar Singh Shaktawat, Aged About 29 Years, Resident Of Daljeet Singh Ji Ka Kheda, Mangtala, Police Station Bijoliya, District Bhilwara.
2. Banveer Singh Kanawat S/o Nathu Singh Kanawat, Aged About 46 Years, Resident Of Rawla Chowk Shobha Ji Ka Kheda, Kacchola, District Bhilwara

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. BS Charan

For Respondent(s) : Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

05/05/2026

01. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से यह अग्रिम जमानत का आवेदन अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना बिजौलिया जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 268/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 189(2), 119(1), 309(6), 309(4), 109(1) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
02. मैंने बहस अग्रिम जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता का तर्क रहा कि इस मामले में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। कोई गंभीर प्रकृति की चोट कारित करना इस मामले में नहीं पाया गया है। सहअभियुक्त अजयसिंह की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत की प्रार्थना इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2025 के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। इन आधारों पर प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई।
04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया। विद्वान लोक अभियोजक ने थानाधिकारी पुलिस थाना बिजौलिया जिला

भीलवाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 19.04.2026 पेश की जिसमें इस मामले में धारा 115(2), 189(2), 119(1) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रमाणित पाया गया है एवं धारा 309(6), 309(4), 109(1) भारतीय न्याय संहिता में अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया है, कोई अनुसंधान शेष नहीं है।

05. अग्रिम जमानत आवेदन पर मनन किया, केस डायरी व पुलिस के नतीजा का अवलोकन किया। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की अनुसंधान हेतु पुलिस को आवश्यकता होना तथ्यात्मक रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। सहअभियुक्त अजयसिंह की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत की प्रार्थना इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2025 के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में इस न्यायालय की राय में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित होगा।

06. परिणामतः अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **01. भंवरसिंह पुत्र चतरसिंह, 02. बनवीर सिंह पुत्र नाथूसिंह** को उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रकरण में गिरफ्तार करने की स्थिति में गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की संतुष्टि अनुसार प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्त एक-एक लाख रुपये का मुचलका एवं पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत निम्न शर्तों सहित पेश करने पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाये :-

1. यह कि प्रार्थीगण पुलिस द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होंगे,
2. यह कि प्रार्थीगण उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष कि ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे,
3. यह कि प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J